अध्याय

13

कल्याण संबंधी उपाय

कल्याण संबंधी उपाय

कोयला खनन का मूल निवासियों की परम्परागत जीवनशैली और क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सीआईएल का यह दृढ़ विश्वास है कि खनन क्षेत्रों में रह रहे लोग खान विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्टेकधारक हैं और क्षेत्र विकास हेतु विभिन्न कार्यकलाप करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अधिदेश के भाग के रूप में, सीआईएल तथा इसकी सहायक कम्पनियां कोल्फील्ड क्षेत्रों तथा उनके आस–पास के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलाप कर रही हैं।
- पेय जल की व्यवस्था, स्कूल भवनों, चेक बांधों, ग्रामीण सड़कों, सम्पर्क सड़कों और पुलियाओं, औषधालयों एवं अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों आदि का निर्माण जैसी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन।
- स्वास्थ्य शिविरों, चिकित्सा सहायता, परिवार कल्याण शिविरों, एड्स जागरूकता कार्यक्रमों, टीकाकरण शिविरों, खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के संवर्धन, सामाजिक वन्यीकरण आदि जैसे जागरूकता कार्यक्रम तथा सामुदायिक कार्यकलाप।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

1.12.2017 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार सीआईएल में दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरणः

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ईसीएल	62655	5	15	35
बीसीसीएल	49581	0	0	6
सीसीएल	41188	21	10	36
डब्ल्यूसीएल	46245	22	7	72
एसईसीएल	59342	21	4	101
एमसीएल	22392	57	15	79
एनसीएल	15107	10	2	44
एनईसी	1577	0	0	1
सीएमपीडीआई	3434	3	2	21
डीसीसी	346	0	0	0
सीआईएल (मुख्यालय)	918	1	0	0
कुल सीआईएल	**302785**	**140**	**55**	**395**

1996–97 (अनंतिम) से समूह 'ग' तथा 'घ' की नियुक्ति का ब्यौराः

वर्ष	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	आरक्षण कोटा के अधीन भरे गए पदों की संख्या		
		वी एच	एच एच	ओ एच
1996–97 से 01.12.2017	10525	115	35	196

वीएच = दृष्टि बाधित

एचएच = श्रवण बाधित

ओएच = शारीरिक अपंगता

आरक्षण नीति

राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

	सीधी भर्ती			पदोन्नति		
समूह क तथा ख पदों के लिए	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.वर्ग	समूह क,ख,ग तथा घ के लिए	अनु. जाति	अनु. जनजाति
खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा (लिखित) के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर	15%	7 ½%	27%	अखिल भारत	15%	7 ½%
बिना लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अखिल भारतीय आधार पर	16 2/3%	7 ½%	शेष 50% तक सीमित			

उपर्युक्त के अलावा, समूह ग तथा घ पदों की भर्ती में आरक्षण के संबंध में निर्देश हैं जहां राज्य–वार आरक्षण मानकों को बरकरार रखा जा रहा है। सहायक कंपनी–वार / कंपनी–वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:

राज्य	कंपनी	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
झारखंड	**बीसीसीएल**	12	26	12
झारखंड	**सीसीएल**	12	26	12
झारखंड	**सीएमपीडीआईएल**	12	26	12
प.बंगाल	**ईसीएल**	23	5	22
प.बंगाल	**सीआईएल, कोलकाता**	23	5	22
ओडिशा	**एमसीएल**	16	22	12
मध्य प्रदेश	**एनसीएल**	15	20	15
छत्तीसगढ़	**एसईसीएल**	12	32	6
महाराष्ट्र	**डब्ल्यूसीएल**	10	9	27
असम	**एनईसी**	7	12	27

1.12.2017 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार सीआईएल में समूह–वार कर्मचारियों तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

समूह	कुल संख्या	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
क	15242	13.80%	5%	13%
ख	18955	10.95	6.56	19.85
ग	163315	25.11	13.29	29.25
घ (सफाईवालों को छोड़कर)	102615	21.71	14.92	22.12
ग (सफाईवाला)	2658	92.46	1.45	0.07
कुल	**302785**	22.66	12.93	25.07